संख्या-2519/9-2-2010-159सा/2010

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-2, लखनऊः दिनांकः 18 नवम्बर, 2010

विषयः- स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों को जलकर निः शुल्क किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-113/स0वि0/10 दिनांक-27.09.2010 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में आपके उपरिसंदर्भित पत्र के माध्यम से महाप्रबन्धक जल संस्थान लखनऊ के पत्र संख्या-1190/एल0जे0एस0-80/जी एम दिनांक-20.09.2006 एवं जल संस्थान लखनऊ की 62वीं बोर्ड बैठक दिनांक-26.10.2005 की कार्यवाही की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।

2- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में जल संस्थान, लखनऊ का विलय नगर निगम लखनऊ में किया जा चुका है एवं स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों को भवन कर में छूट पूर्व में नगर निगम द्वारा प्रदान की गयी है। अतः जिस प्रकार नगर निगम लखनऊ द्वारा स्वतन्त्रता संग्राम सैनानियों को भवन कर में छूट प्रदान की गयी है, उसी प्रकार उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम,1959 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार स्वतन्त्रता संग्राम सैनानियों को जलकर, से मुक्त किये जाने के संबंध में भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।

D